

विदिध बैंक प्रकरण संख्या 44/2023(GCMS : 2023/62) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक श्रीमति पूनम गुप्ता, मुख्य शाखा, श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री राजेन्द्र नाथ पुत्र श्री देव नाथ निवासी RSI-5, रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव - प्रथम, श्रीगंगानगर 2. यशपाल गिरि पुत्र श्री लच्छी राम निवासी 8-जी-5, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर



24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण राजेन्द्र नाथ एवं यशपाल गिरि को ऋण सुविधा के रूप में कुल 12.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये बारह लाख रुपये मात्र) का ऋण दिनांक 29.09.2016 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र नाथ की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. RSI-5, किल्ला नं. 8, मुरब्बा नं. 57, (क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट) घक 2 एमएल रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-प्रथम, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 23.11.2022 को 12,04,022/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 01.12.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.12.2022 से भिजवाये गये हैं। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण

bnk
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई अप्रार्थी राजेन्द्र नाथ की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. RSI-5, किल्ला नं. 8, मुरब्बा नं. 57, (क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट) चक 2 एमएल रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-प्रथम, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी राजेन्द्र नाथ को 12.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये बारह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.09.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र नाथ ने अपनी रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. RSI-5, किल्ला नं. 8, मुरब्बा नं. 57, (क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट) चक 2 एमएल रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-प्रथम, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 27.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 01.12.2022 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.12.2022 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला

नॉटिस के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी राजेन्द्र नाथ की सिहावरी सम्पत्ति प्लॉट नं. RSI-5, किल्ला नं. 8, मुरब्बा नं. 57, (क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट) चक 2 एमएल रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-प्रथम, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.12.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.12.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.12.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजेन्द्र नाथ के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Jun
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र नाथ द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. RSI-5, किल्ला नं. 8, मुर्ब्बा नं. 57, (क्षेत्रफल 25' गुणा 60' वर्गफुट) चक 2 एमएल रिद्धि सिद्धि एन्क्लेव-प्रथम, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर